अस्वीकरण

हिन्दी में अनुवादित संस्करण मात्र समझ हेतु है और इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और शासकीय उद्देश्यों के लिए, इसका मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निजी सचिव (सेवा की शर्तें) नियमावली, 2001

1. संक्षिप्त नाम, आवेदन एवं प्रारंभ: -

(i) इन नियमों का तात्पर्य **"इलाहाबाद उच्च न्यायालय निजी सचिव (सेवा शर्तें) नियमावली, 2001"** से है।

(iii) "इलाहाबाद उच्च न्यायालय निजी सचिव (सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2019" 28.04.2017 से प्रभावी होंगे और संशोधित प्रावधान उक्त संशोधन की तिथि से यथावत प्रभावी माने जाएंगे। "इलाहाबाद उच्च न्यायालय निजी सचिव (सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021" आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ: इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **'नियुक्ति प्राधिकारी'** से तात्पर्य मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी से है, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश निर्देशित करें;

(ख) **'मुख्य न्यायाधीश'** से तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है;

(ग) **'सरकार'** से तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(घ) **'राज्यपाल'** से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ङ) **'उच्च न्यायालय'** से तात्पर्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय से है;

*****(च) *'सेवा के सदस्य' से तात्पर्य निजी सचिव से है* ***जो न्यायाधीशों के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे*** *तथा अपर निजी सचिव (नामकरण को शासनादेश संख्या 1055/VII-न्याय-1-2015-228/2014, दिनांक 14.08.2015 के अनुसार 'निजी सहायक' से 'अपर निजी सचिव' में परिवर्तित किया गया है)* ***जो उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री के अधिकारियों के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे;***

(छ) 'महानिबन्धक' से तात्पर्य उच्च न्यायालय के महानिबन्धक से है;

(ज) 'सेवा' से तात्पर्य निजी सचिव के सभी पदों से है जिनमें समूह "क" और "ख" के पद शामिल हैं।

3. सेवा की संख्या:-

1. उच्च न्यायालय के निजी सचिव के कैडर में विभिन्न श्रेणियों में स्थायी पदों की संख्या ऐसी होगी जो राज्यपाल की स्वीकृति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

2- माननीय मुख्य न्यायाधीश के दिनांक 13.09.2019 के आदेश द्वारा हटा दिया गया (उत्तर प्रदेश के आधिकारिक राजपत्र में दिनांक 28.09.2019 को प्रकाशित)।

3. इन नियमों के लागू होने के समय सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की संख्या वही होगी जो इन नियमों की अनुसूची-I में दर्शाई गई है।

4. मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर राज्यपाल की स्वीकृति से ऐसे अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

5. मुख्य न्यायाधीश किसी भी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकते हैं या उसे स्थगित रख सकते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को मुआवजे का हकदार नहीं बनाया जा सकेगा।

<u>ग्रेड-1 के निजी सचिव और अपर निजी सचिव की भर्ती के स्रोत और विधि।</u>

***4. ग्रेड-1 के निजी सचिव** और अपर निजी सचिव का पद **श्रेणी-II** का पद होगा।

(I) भर्ती के स्रोत-

(क) निजी सचिव ग्रेड-I - 85 प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा 15 प्रतिशत स्थायी अपर निजी सचिव में से पदोन्नति द्वारा, जैसा कि नियम 5(i) में प्रावधान है।

(ख) अपर निजी सचिव - प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(II) योग्यता - भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए।

**** इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निजी सचिव (सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2019 के माध्यम से दिनांक 18.09.2019 की अधिसूचना संख्या 51 द्वारा संशोधन किया गया, जो उत्तर प्रदेश के आधिकारिक राजपत्र में दिनांक 28.09.2019 को प्रकाशित दिनांक 28.04.2017 से प्रभावी है।***

बशर्ते कि उपरोक्त योग्यताओं के अतिरिक्त, उम्मीदवारों को अंग्रेजी शॉर्टहैंड और टाइपिंग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिसकी न्यूनतम गति क्रमशः 100 और 40 शब्द प्रति मिनट हो।

इसके अलावा, डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना एक आवश्यक योग्यता होगी।

(III) **श्रेणी-1 के निजी सचिव और अपर निजी सचिव** के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

(क) जब भी भर्ती वर्ष के दौरान **निजी सचिव ग्रेड-I और अपर निजी सचिव** के पद पर विद्यमान या संभावित रिक्तियों को भरने के लिए सीधी भर्ती करना आवश्यक हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करेगा, जिसमें अनुसूचित जाति और नियम 4-ए में निर्दिष्ट अन्य उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल होंगी।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा और आवेदनों की जांच करने पर पद पर भर्ती के लिए पात्र पाए जाने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश देगा।

(ग) प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया और पाठ्यक्रम निम्नानुसार होंगे या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे:

<u>परीक्षा का पाठ्यक्रम (वस्तुनिष्ठ प्रकार):</u>

1. **<u>सामान्य अध्ययन:</u>**

<u>अंक: 200; समय: 3 घंटे</u>

(क) सामान्य विज्ञान,

(ख) भारत का इतिहास,

(ग) भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,

(घ) भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति,

(ङ) भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार,

(च) जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण (भारतीय संदर्भ में),

(छ) विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल और संसाधन,

(ज) वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएँ,

(झ) सामान्य अभिक्षमता

(ञ) उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, जीवन शैली और सामाजिक परंपराओं के संबंध में विशेष ज्ञान,

(ट) स्नातक स्तर की सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी का ज्ञान,

(ठ) कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान।

(घ) मेरिट सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसमें शॉर्टहैंड, टाइपिंग और कंप्यूटर संचालन में दक्षता (यदि कोई हो) शामिल होंगे। यह सूची एक वर्ष तक या अगली चयन प्रक्रिया तक, जो भी पहले हो, मान्य रहेगी।

(ङ) शुल्क: उम्मीदवारों को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को नीचे निर्धारित शुल्क या मुख्य न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

श्रेणी	**शुल्क**
सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	**रू. 750/-**
उ.प्र. के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	**रू. 500/-**

(IV) **ग्रेड-1 के निजी सचिव के पद पर नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य न्यायाधीश होंगे** तथा अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्ति प्राधिकारी महानिबंधक होंगे;

बशर्ते कि महानिबंधक द्वारा **शक्तियों का प्रयोग मुख्य न्यायाधीश** के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन होगा।

(V) जब भी इन नियमों के अधीन निजी सचिव ग्रेड-I और अपर निजी सचिव के पद पर सीधी भर्ती करना आवश्यक हो, तो राज्य में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में, तथा रोजगार समाचार और अन्य समान प्रकाशनों, जिनमें उच्च न्यायालय की वेबसाइट भी शामिल है, में विज्ञापन द्वारा व्यापक प्रचार के बाद पदों को भरा जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, रोजगार एक्सचेंज से भी नाम मंगवाए जा सकते हैं। विज्ञापन में अन्य आवश्यक विवरणों के साथ-साथ चयन और भर्ती के लिए उपलब्ध पदों की संख्या, इन

पदों के लिए योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड, साथ ही भर्ती और चयन के लिए निर्धारित नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(VI) नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया को नियमित आधार पर और वर्ष में कम से कम एक बार मौजूदा रिक्तियों या भर्ती के वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए संपन्न करेगा।

आरक्षण और योग्यताएं

***4-क. अनुसूचित जाति आदि के लिए आरक्षण-**

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण- संस्था में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी।

(क)	**अनुसूचित जाति के मामले में**	**21%**
(ख)	**अनुसूचित जनजाति के मामले में**	**2%**
(ग)	**अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में**	**27%**
(घ)	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में**	**10%**

(II) महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए क्षैतिज आरक्षण - प्रतिष्ठान में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती में, महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, शारीरिक रूप से विकलांगों और पूर्व सैनिकों के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित प्रतिशत लागू होंगे -

(क)	**महिलाएँ**	**20%**
(ख)	**आश्रित परिवार**	**02%**
(ग)	**पूर्व सैनिक**	**05%**

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग 04%**

****स्पष्टीकरण-1:-** स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और समय-समय पर अधिनियमित इसके बाद के संशोधनों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

****स्पष्टीकरण-II**:- शारीरिक रूप से विकलांग शब्द को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और समय-समय पर अधिनियमित इसके बाद के संशोधनों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

बशर्ते कि निम्नलिखित "मानक विकलांगता" वाले व्यक्तियों के लिए चार प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित होंगी, अर्थात्:-

(i) विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में परिभाषित 'गतिशील विकलांगता' श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी की विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत:-

(क) एक हाथ, एक पैर और दोनों पैरों की चलने-फिरने में असमर्थता;

(ख) कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति;

(ग) बौनापन;

(घ) एसिड अटैक के शिकार व्यक्ति;

(ii) दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत (जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में परिभाषित है);

(iii) श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत (जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में परिभाषित है);

(iv) शेष एक प्रतिशत अंक उपरोक्त खंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए, रोटेशन के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

****स्पष्टीकरण**:- उक्त केंद्रीय अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (d) और (e) में उल्लिखित मानक विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित रोस्टर अंक, उपरोक्त श्रेणियों (i) से (iii) में उल्लिखित उम्मीदवारों को उसी क्रम में आवंटित किए जाएंगे।

इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण मुख्य न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार होगा।

**** इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निजी सचिव (सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 के माध्यम से अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 12.11.2021 द्वारा किया गया संशोधन, जो उत्तर प्रदेश के आधिकारिक राजपत्र दिनांक 15.01.2022 में प्रकाशित राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है।***

***** यह संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निजी सचिव (सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2025 के माध्यम से अधिसूचना संख्या 120 दिनांक 24.03.2025 द्वारा किया गया है और यह उत्तर प्रदेश के आधिकारिक राजपत्र दिनांक 12.04.2025 में प्रकाशित राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है।***

#4-ख. खिलाड़ियों की भर्ती- न्यायालय की स्थापना के समय अपर निजी सचिव और निजी सचिव ग्रेड-I के पदों में रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती के चरण में ऐसे कुशल खिलाड़ियों और खेल व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा जिन्होंने भारत के किसी राज्य या पूरे देश की ओर से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कम से कम दो वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एक वर्ष तक प्रतिनिधित्व किया हो, या जिन्होंने अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में कम से कम तीन वर्ष तक अपने विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया हो, या जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो, जिम्नास्टिक और राइफल शूटिंग में अपने विद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया हो।

4-ग. राष्ट्रीयता- इस संस्थान में भर्ती के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1972 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों तंजानिया (पूर्व में तांगनायिका और ज़ांज़ीबार) से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो;

बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणी (ख) या (ग) के उम्मीदवार को राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया होना चाहिए।

इसके अलावा, श्रेणी (ख) के उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस उप महानिरीक्षक, खुफिया शाखा द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना आवश्यक होगा।

इसके अलावा, यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त श्रेणी (सी) से संबंधित है, तो उसे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवार को एक वर्ष की अवधि के बाद सेवा में तभी रखा जा सकता है जब उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

नोट- जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, लेकिन वह न तो जारी किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है और उसे आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त होने या उसके पक्ष में जारी होने की शर्त पर अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

#4-घ. आयु: अपर निजी सचिव और निजी सचिव ग्रेड-I के पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने वाले वर्ष के 1 जुलाई को 21 वर्ष होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष अधिक होगी।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी 45 वर्ष की आयु तक अपर निजी सचिव और निजी सचिव ग्रेड-I के पदों पर सीधी भर्ती के पात्र होंगे।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के मामले में, उपयुक्त मामलों में मुख्य न्यायाधीश द्वारा पांच वर्ष की आयु में छूट दी जा सकती है।

इसके अलावा, इस नियम के तहत आयु में छूट प्राप्त करने के कारण किसी भी उम्मीदवार को प्रतियोगी परीक्षा या चयन में तीन से अधिक बार उपस्थित होने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

4-ङ. सेवानिवृत्ति की आयु एवं सेवा विस्तार: इस नियम में अन्यथा प्रावधान न होने पर, उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी उस माह के अंतिम दिन दोपहर में सेवा से सेवानिवृत्त होगा जिस माह में वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है;

प्रथम प्रावधान यह है कि उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान में कार्यरत वह कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि माह की पहली तिथि है, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पिछले माह के अंतिम दिन दोपहर में सेवा से सेवानिवृत्त होगा।

इसके अलावा, दूसरी बात यह है कि उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई कर्मचारी, जिसने 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जिसकी सेवा अवधि बढ़ाई गई है, वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

तीसरा प्रावधान यह है कि यदि उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा, अनुभव और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सेवा अवधि में विस्तार जनहित में पाया जाता है, तो उसे सेवा अवधि में विस्तार दिया जा सकता है।

4-च. वरीयता योग्यता.- एक उम्मीदवार (i) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो या (ii) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातें समान होने पर, प्रतिष्ठान में सीधी भर्ती के मामले में उसे वरीयता दी जाएगी।

 # इलाहाबाद उच्च न्यायालय निजी सचिव (सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024 के माध्यम से अधिसूचना संख्या 80 दिनांक 28.11.2024 द्वारा संशोधन किया गया, जो उत्तर प्रदेश के आधिकारिक राजपत्र दिनांक 08.03.2025 में प्रकाशित राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है।

4-छ. चरित्र.- नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में सीधी भर्ती के लिए किसी व्यक्ति का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त हो। इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी की राय अंतिम होगी।

नोट: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी निगम द्वारा बर्खास्त किए गए व्यक्ति इन नियमों के तहत नियुक्ति के लिए अपात्र माने जाएंगे।

4-ज. वैवाहिक स्थिति.- एक से अधिक जीवित पत्नियों वाले पुरुष उम्मीदवार या पहले से जीवित पत्नियों वाले व्यक्ति से विवाह करने वाली महिला उम्मीदवार इस प्रतिष्ठान में भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे;

बशर्ते कि मुख्य न्यायाधीश, यदि संतुष्ट हों कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकते हैं।

4-झ. शारीरिक फिटनेस.- किसी भी व्यक्ति को संस्थान में तब तक भर्ती नहीं किया जाएगा जब तक वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जो उसके आधिकारिक कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा उत्पन्न करे। सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवार को संस्थान में नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पहले, उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शारीरिक फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और यदि वह प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो, तो संबंधित प्राधिकारी से समकक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नियुक्ति, पदोन्नति और पुष्टि

4-ञ. सभी पदोन्नति पदों के लिए चयन विधि:-

(i) नियम 5 में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए चयन मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

(ii) चयन का मानदंड वरिष्ठता होगा, अयोग्य उम्मीदवारों को अस्वीकार किया जा सकता है।

(iii) नियम 6 में उल्लिखित गैर-कैडर पदों को मुख्य न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार से भरेंगे।

5. विभिन्न पदोन्नति पदों पर नियुक्ति का स्रोत: सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदोन्नति पदों पर नियुक्ति निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी, अर्थात्:-

***(i) निजी सचिव ग्रेड I- निजी सचिव ग्रेड-I के पंद्रह प्रतिशत पद स्थायी अपर निजी सचिव** में से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, जिनके पास भर्ती वर्ष के 1 जुलाई को उच्च न्यायालय में अपर

निजी सचिव के रूप में अस्थायी और कार्यवाहक सेवा सहित निरंतर सेवा की न्यूनतम अवधि दस वर्ष हो;

बशर्ते कि यदि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो पात्रता का दायरा उन स्थायी रूप से नियुक्त अपर निजी सचिव तक बढ़ाया जा सकता है जिन्होंने भर्ती वर्ष के पहले दिन तक इस पद पर पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

इसके अलावा, यदि अपर निजी सचिव से निजी सचिव ग्रेड-I के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटे से अधिक उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध हों, तो पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या घटाकर बढ़ाई जाएगी।

इसके अलावा, यदि प्रथम श्रेणी के निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त अपर निजी सचिव उपलब्ध नहीं हैं, तो ग्रेड-1 के निजी सचिव के शेष रिक्त पदों को भी सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(ii) सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II - भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को निजी सचिव ग्रेड-I के रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा (अस्थायी और कार्यवाहक सेवा सहित) पूरी कर चुके निजी सचिव ग्रेड-I में से पदोन्नति द्वारा;

बशर्ते कि यदि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो पात्रता का दायरा श्रेणी-प्रधान निजी सचिव के स्थायी नियुक्ति को भी शामिल करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है, जिन्होंने भर्ती वर्ष के 1 दिन तक श्रेणी-प्रधान निजी सचिव के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(iii) उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III- सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II से पदोन्नति द्वारा।

(iv) संयुक्त निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-IV- उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-IV से पदोन्नति द्वारा।

(v) निबंधक-सह-प्रधान निजी सचिव** - संयुक्त निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-IV से पदोन्नति द्वारा।

**** इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निजी सचिव (सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2019 के माध्यम से दिनांक 18.09.2019 की अधिसूचना संख्या 51 द्वारा संशोधन किया गया, जो***

28.04.2017 से प्रभावी है और उत्तर प्रदेश के आधिकारिक राजपत्र में दिनांक 28.09.2019 को प्रकाशित हुआ।

***** दिनांक 16.02.2019 की संशोधन अधिसूचना संख्या 174 द्वारा जोड़ा गया।***

6. कैडर से इतर पदों पर चयन-

(I) संयुक्त निबंधक-सह-संयुक्त प्रधान निजी सचिव

निजी सचिव ग्रेड-III या निजी सचिव ग्रेड-IV में से।

(II) प्रधान निजी सचिव (प्रशासन)-**

निजी सचिव-सह-प्रधान निजी सचिव में से।

(III) मुख्य निजी सचिव-**

***माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा चयनित प्रधान निजी सचिव (प्रशासन) और निबंधक-सह-प्रधान निजी सचिव, संयुक्त निबंधक-सह-निजी सचिव श्रेणी-IV, संयुक्त प्रधान निजी सचिव और उप निबंधक-सह-निजी सचिव में से संयुक्त निबंधक-सह-निजी सचिव श्रेणी IV के वेतनमान में।

बशर्ते कि यदि किसी भी समय मुख्य न्यायाधीश अधिकारी को मुख्य निजी सचिव, प्रधान निजी सचिव या संयुक्त निबंधक-सह-संयुक्त प्रधान निजी सचिव के पद पर बरकरार न रखने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें उनके मूल पद और वेतनमान पर वापस भेज दिया जाएगा।

7. वेतन एवं भत्ते :-

1. इन नियमों के प्रारंभ होने के समय उच्च न्यायालय के निजी सचिव के विभिन्न पदों के लिए स्वीकार्य वेतनमान अनुसूची-I में संबंधित पद के सामने दिए गए हैं।

2. इन नियमों की अनुसूची-I में निर्दिष्ट पद धारण करने वाले व्यक्तियों को देय भत्ते वे होंगे जो सरकारी आदेश के तहत उत्तर प्रदेश सिविल सचिवालय में निजी सचिव की संबंधित श्रेणियों को देय हैं।

3. जब भी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सिविल सचिवालय में निजी सचिव की किसी भी श्रेणी को देय वेतनमान या भत्तों में कोई संशोधन या परिवर्तन किया जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश

संविधान के अनुच्छेद 229 के प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय के निजी सचिव की संबंधित श्रेणियों को ऐसे संशोधित या परिवर्तित वेतनमान या भत्ते देय करा सकते हैं।

*****संशोधन अधिसूचना संख्या 174 दिनांक 16.02.2019 द्वारा सम्मिलित।***

****** यह संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निजी सचिव (सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022 के माध्यम से अधिसूचना संख्या 66 दिनांक 21.12.2022 द्वारा किया गया (तत्काल प्रभाव से लागू)। यह संशोधन उत्तर प्रदेश के राजपत्र में दिनांक 24.12.2022 को प्रकाशित हुआ था।***

8. नियुक्ति:- उच्च न्यायालय के निजी सचिव के किसी भी ग्रेड के पदों में रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी विधिवत चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति चयन सूची में उनके नामों के क्रम के अनुसार करेगा।

9. परिवीक्षा:-

1. किसी पद पर प्रारंभिक नियुक्ति पर उम्मीदवार को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

2. नियुक्ति प्राधिकारी लिखित रूप में कारण बताते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है:

बशर्ते कि किसी भी स्थिति में परिवीक्षा की कुल अवधि, विस्तारित अवधि सहित, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. यदि परिवीक्षाधीन कर्मचारी परिवीक्षा या विस्तारित अवधि के दौरान अवसरों का पर्याप्त उपयोग करने में विफल रहता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे उसके मूल पद पर वापस भेज सकता है।

10. पुष्टि:- परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी परिवीक्षा अवधि या विस्तारित परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जाएगा, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाता है और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित होती है।

11. वरिष्ठता: - निजी सचिव के प्रत्येक पद की श्रेणी में वरिष्ठता नियुक्ति आदेश की तिथि से निर्धारित की जाएगी, और यदि एक से अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाते हैं, तो नियुक्ति आदेश में उनके नामों के क्रम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी।

बशर्ते कि इन नियमों के तहत नियुक्ति या पदोन्नति से पहले पदधारियों की आपसी वरिष्ठता, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा आदेश दिए जाने तक, बरकरार रखी जाएगी।

12. अन्य मामलों का विनियमन: -

(1) निजी सचिव के किसी भी श्रेणी के पदों पर नियुक्त सभी व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

(2) इन नियमों में उनके आचरण, नियंत्रण और अनुशासन से संबंधित उन सभी मामलों के संबंध में, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है, उच्च न्यायालय के निजी सचिव पर वे नियम एवं आदेश लागू होंगे जो वर्तमान में सरकार में संबंधित पदों पर आसीन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं:

बशर्ते कि राज्यपाल द्वारा सरकार के नियमों एवं आदेशों के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली उक्त शक्तियों का प्रयोग मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा निर्देशित किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा:

इसके अलावा, वेतन, भत्ते, अवकाश या पेंशन से संबंधित नियमों या आदेशों में संशोधन, भिन्नता या अपवाद वाले किसी भी आदेश को मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल की स्वीकृति के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

13. अवशिष्ट शक्तियाँ: - इन नियमों में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मुख्य न्यायाधीश को समय-समय पर ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति प्रभावित हो, जो इन नियमों से संबंधित सभी मामलों में उचित समझे, जिनका इसमें विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया हो या जिनका पर्याप्त रूप से प्रावधान नहीं किया गया हो।

बशर्ते कि यदि ऐसा कोई आदेश वेतन, भत्ते, अवकाश या पेंशन से संबंधित हो, तो वह राज्यपाल की स्वीकृति से ही जारी किया जाएगा।

विविध

14. निरसन:- इलाहाबाद उच्च न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (सेवा की शर्तें एवं आचरण) नियम, 1976 के वे प्रावधान, जहाँ तक वे उच्च न्यायालय के **अपर निजी सचिव और** निजी सचिव से संबंधित हैं, **निरसित माने जाएँगे।**

15. सामान्य नियम- इन नियमों के लागू होने से पहले मुख्य न्यायाधीश या निबंधक द्वारा जारी की गई सभी अधिसूचनाएँ, पारित आदेश, की गई नियुक्तियाँ या प्रयोग की गई शक्तियाँ, इन नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत क्रमशः जारी, बनाई और प्रयोग की गई मानी जाएँगी।

नोट: 10.04.2000 से पहले मुख्य न्यायाधीश या निबंधक द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना, आदेश, नियुक्ति या उनके द्वारा प्रयोग की गई शक्ति में प्रयुक्त "निबंधक" शब्द को 10.04.2000 के बाद "महानिबंधक" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. सामान्य नियम- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य न्यायाधीश को भर्ती, पदोन्नति, पुष्टिकरण या किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसे आदेश देने का अधिकार होगा, जैसा वे उचित समझें।

अनुसूची-I

कैडर पद:

क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
(i)	अपर निजी सचिव		
(ii)	निजी सचिव (ग्रेड-I)	77	6,500-10,500
(iii)	निजी सचिव (ग्रेड-II)	42	10,000-325-15,200
(iv)	निजी सचिव (ग्रेड-III)	30	12,000-375-16,500
(v)	निजी सचिव (ग्रेड-IV)	7	14,300-400-18,300
	एक्स कैडर पद		
(i)	संयुक्त प्रधान निजी सचिव	2	14,300-400-18,300
(ii)	प्रधान निजी सचिव	2	16,400-450-20,000

****